भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3353

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

बंधुआ मजदूर

3353. श्री जुगल किशोर शर्मा:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में देश के प्रत्येक राज्य में विद्यमान बंधुआ मजदूरों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण के माध्यम से बंधुआ मजदूर अपराधों के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों को सजा प्रदान करने के राष्ट्रीय आंकड़े हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर भुवनेश्वर में, कितने मामलों में एफआईआर पंजीकृत की गई है;

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण और न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित विचारण, दोनों के अंतर्गत दोषसिद्धि दर कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा बंधुआ मजदूर मामलों में कम दोषसिद्धि दर की समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय/कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): मुक्त और पुनर्वासित कराए गए बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में संलग्न है।

(ख): केंद्रीय सरकार इन आंकड़ों को नहीं रखती है।

(ग): केंद्रीय सरकार इन आंकड़ों को नहीं रखती है।

(घ): केंद्र सरकार के पास इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(ङ): भारत सरकार ने समय-समय पर बंधुआ श्रमिक पुनर्वास स्कीम की समीक्षा की है और बंधुआ श्रमिक पुनर्वास के लिए संशोधित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम-2016 दिनांक 18.05.2016 से कार्यान्वित की गई है।

* ****

अनुबंध

बंधुआ मजदूरों के संबंध में श्री जुगल किशोर शर्मा एवं श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा दिनांक 09.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3353 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत चिह्नित और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	2992
2.	आंध्र प्रदेश	31404
3.	असम	12
4.	बिहार	17351
5.	गुजरात	64
6.	हरियाणा	92
7.	कर्नाटक	60029
8.	केरल	710
9.	मध्य प्रदेश	12394
10.	महाराष्ट्र	1325
11.	ओडिशा	48313
12.	पांडिचेरी	9
13.	पंजाब	252
14.	राजस्थान	6715
15.	तमिलनाडु	65573
16.	उत्तर प्रदेश	42279
17.	छत्तीसगढ़	3548
18.	झारखंड	314
19.	उत्तराखंड	5
20.	पश्चिम बंगाल	344

****